कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान
वार्षिक कार्य विवरण – 2024–2025

समीक्षा वर्ष 2024–2025 में कुमारप्पा ग्राम स्वराज के पास किसी कार्यक्रम के लिए दीर्घकालीन आर्थिक व्यवस्था, विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक संसाधन की स्वीकृति नहीं मिल सकी। नयी योजनाओं के लिए सर्वे तथा अन्य स्तर पर प्रयास किया गया। इस बीच जो भी कार्य के लिए आर्थिक साधन प्राप्त हुए वह मित्रों के सहयोग तथा सद्भावना का परिणाम है। पिछले वर्षों से ईट भट्टे पर काम करनेवाले श्रमिक परिवार के साथ रहनेवाले छोटे बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा का कार्य चल रहा है जो इस वर्ष भी चला और इस कार्य के लिए आर्थिक साधन प्राप्त है। इस कार्य के लिए स्थानीय मित्रों ने भी सहयोग दिया। इस कार्यक्रम को ''**ब्रिक (ईट भट्टा) स्कूल**'' के नाम से संबोधित किया जाता है। संस्थान का खेती के लिए वर्षा जल का कुंओं में पुर्नभरण का महत्वपूर्ण कार्य कई वर्षों से चल रहा है। समीक्षा वर्ष में इस कार्य के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं प्राप्त हुए। मित्रों के सहयोग से इस कार्य को किया गया। संस्थान के माध्यम से अन्य सामााजिक–आर्थिक कार्य चले। इन सभी कार्यों की जानकारी प्रस्तुत है –

1. ईट भट्टों पर परिवार के साथ रहनेवाले बच्चों की शिक्षा कार्यक्रम

जैसा कि पिछले वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था कि यह कार्य दो क्षेत्रों में चल रहा है – (1) कोटखावदा–चाकसू पंचायत समिति क्षेत्र तथा (2) फागी तहसील के रेनवाल क्षेत्र के 9 ईट भट्टों पर शिक्षण का कार्य चल रहा है। इस वर्ष शिक्षण के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को भी शामिल किया गया है जिसका लाभ विद्यार्थियों के साथ–साथ ईट भट्टे पर काम करनेवालों को मिल जाता है। स्वास्थ्य सेवा कार्य में क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्र का सहयोग मिल रहा है (ईट भट्टों के नाम संलग्न सूची में है।) पढ़नेवाले विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो चाकसू–कोटखावदा क्षेत्र के ईट भट्टा पाठशाला में कुल 534 विद्यार्थी हैं और रेनवाल क्षेत्र के ईट भट्टा पाठशाला में 452 विद्यार्थी हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों की संख्या 986 है। विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए वर्ष 2024–2025 में इस समय 19 पाठशालायें चल रही है। पाठशाला में आनेवाले बालक–बालिका की संख्या को देखें तो पाते हैं कि चाकसू क्षेत्र और रेनवाल क्षेत्र में 485 लड़के तथा 501 लड़कियां पायी गयी। बड़ी लड़कियां (क) छोटे बच्चों को संभालने (ख) घर के काम में लगे रहने के

कारण पाठशाला नहीं आ पाती हैं। शिक्षक एवं साधन सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित स्थिति है –

1. शिक्षक का कार्य स्थानीय लोग कर रहे हैं जिनमें महिलायें 29 और पुरुष 3 हैं।
2. सभी शिक्षक स्नातक हैं, कई प्रशिक्षित हैं।
3. पाठशाला में पढ़ाना प्रारंभ करने के पूर्व शिक्षकों को प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।
4. बालकों को प्रार्थना, संस्कार की दृष्टि से समझने और एकाग्रता का (विपश्यना) अभ्यास कराया जाता है।
5. शिक्षक एवं विद्यार्थियों को संस्था की ओर से पाठ्य सामग्री थैला, पोशाक आदि दिया जाता है।
6. समय–समय पर प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।

<u>पाठशाला एवं ईट भट्टों की सूची (चाकसू – कोटखावदा)</u>

1. माता ईट भट्टा – बदराजपुरा
2. एल.बी.सी. ईट भट्टा – कंवरपुरा
3. एन.एन.बी ईट भट्टा – ठीकरिया गुजरान

4. आई.बी.सी ईट भट्टा – ठीकरिया गुजरान–रलावता मोड़
5. बजाज ईट भट्टा – ठीकरिया गुजरान – कोटखावदा
6. आर.एन.बी ईट भट्टा – बाढ़ मुरलीपुरा
7. महादेव ईट भट्टा – ठीकरिया गुजरान
8. अमन ईट भट्टा – ठीकरिया गुजरान
9. आर.बी.के. ईट भट्टा – गरूड़वासी
10. एल.बी.टी. ईट भट्टा – ठीकरिया गुजरान
11. कमल ईट भट्टा – बाढ़ मुरलीपुरा

(2) रेनवाल क्षेत्र

1. रानी सागर ईट भट्टा – रेनवाल मांजी
2. सी.बी.सी ईट भट्टा – हीरापुरा रोड़
3. डी.बी.सी. ईट भट्टा – रेनवाल मांजी
4. बी.बी.आई. ईट भट्टा – रेनवाल मांजी
5. के.बी.आई. ईट भट्टा – रोहनी नगर
6. ओम ब्रीक्स ईट भट्टा – डालूवाला
7. एस.एस.बी. ईट भट्टा – रेनवाल मांजी
8. मदरसा स्कूल – रेनवाल मांजी

उपरोक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए 32 शिक्षकों की सेवायें ली जा रही हैं। एक शिक्षक सामान्यतः 32 विद्यार्थियों को संभालती–पढ़ाते हैं।

नोट – यहाँ उल्लेखनीय है कि चाकसू के ईट भट्टों का संचालन भट्टा मालिक द्वारा नियुक्त मैनेजर द्वारा किया जाता है। रेनवाल के ईट भट्टों पर उसका मालिक स्वयं वहीं रहते हैं। इस अंतर के कारण रेनवाल के ईट भट्टा मालिक से सीधा सम्पर्क, बातचीत हो जाती है। अब तक के अनुभव के अनुसार रेनवाल के ईट भट्टों के मालिक का सहयोग, सद्भावना तथा रूचि अपेक्षाकृत अधिक पाया गया।

आर्थिक सहयोग – इस कार्य के लिए मुख्य आर्थिक सहायता अमेरिका में स्थित **आशा** संस्था से प्राप्त हुई है। यह संस्था भारत में सामाजिक कार्यों के लिए कार्यक्रम आयोजित कर आर्थिक साधन जुटाती है।

इस संस्था के अतिरिक्त सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र, ईट भट्टा मालिक तथा अन्य मित्रों से आर्थिक सहायता तथा साधन के रूप में सहयोग मिलता है, जैसे प्राथमिक दवा, स्टेशनरी सामान, बालक–बालिकाओं के लिए पानी लाने के बोतल आदि। इस प्रकार यह मित्र सहायता एवं सहयोग आधारित लोकशिक्षण कार्य है। यह अल्पकालीन शिक्षण कार्य है जो सामान्यतः दिसम्बर से मई माह तक चलता है–मौसम आधारित कार्य है। शिक्षक पूर्णतः अस्थायी अनुबंध पर रखे जाते हैं।

2. स्वास्थ्य सेवा – ईट भट्टे पर रहनेवाले लोगों को सर्दी, गर्मी, काम के समय मौसम का प्रभाव तथा निवास की समुचित व्यवस्था का नहीं होना मौसमी तथा अन्य अस्वस्थकर परेशानियों से जूझना पड़ता है। पाठशाला में आनेवाले विद्यार्थियों में अनेक प्रकार की तकलीफ देखने में आयी। इन बातों को सोचकर संस्थान ने **आशा** कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गयी कि वे व्यक्ति एवं बालकों के स्तर पर बीमारियों की जानकारी लें।

उनके प्रारंभिक सर्वे के आधार पर निर्णय लिया गया कि शिक्षा में स्वास्थ्य सेवा का जुड़ाव आवश्यक है। भट्टे पर बच्चों एवं काम करनेवालों को मौसमी बुखार, खांसी, फोडे–फुंसी आदि की तकलीफ सामान्य बात है। इन कारणों से कई बार पढ़नेवाले विद्यार्थी पाठशाला नहीं आ पाते हैं। इस तकलीफ के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों से संपर्क किया गया। उनका अच्छा सहयोग मिला, प्रारंभिक तकलीफ में दी जानेवाली दवायें उपलब्ध कराने का आश्वासन मिला और इसके लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण (जानकारी) देने में सहयोग भी प्राप्त हुआ। नीचे की सारणी में पिछले कुछ महीनों में (मार्च 2025 तक), दी गयी स्वास्थ्य सेवा की तथ्यात्मक जानकारी इस प्रकार है–

विभिन्न बीमारियों में दी गयी दवायें – लाभांवितों की संख्या

क्र.सं.	**बीमारी का नाम जिसकी दवा दी गयी**	**लाभांवित परिवार संख्या– बच्चे सहित**
1.	कफ, बुखार आदि	316
2.	जोड़ो में दर्द, शरीर में दर्द, पेट में दर्द–ऐठन–दांत–कान की तकलीफ	324
3.	एलर्जी, फोड़े–फुंसी, खुजली, फोड़े आदि	176
4.	मुंह में अल्सर	29
5.	अस्थमा	24
6.	ब्लड प्रेसर	21
7.	पीरियड के समय होनेवाली तकलीफ	90
8.	पेट में कीड़े	28
9.	आयरन एवं कैलसियम की कमी	190
10.	गैस होना, शौच की कठिनाई	203
11.	आंख की तकलीफ	67
12.	उल्टी दस्त	119
13.	अन्य तकलीफ	40
	योग	**1627**

यहाँ उल्लेखनीय है कि संस्था की ओर से बी.पी. उपकरण, थर्मामीटर, दवा रखने का साधन उपलब्ध कराया गया। उपचार का कार्य प्रशिक्षित नर्स बहन जी के द्वारा किया गया। जिन बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सा केन्द्र जाना आवश्यक है उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र भेजा जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि दवा सरकार की योजना के तहत स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा प्राप्त होते हैं। इस कार्य के लिए स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक एवं उनके सहयोगियों को धन्यवाद।

ईट भट्टों पर (उनके स्थान पर) प्रारंभिक शिक्षा के साथ स्वास्थ्य सेवा का आवश्यक कार्य इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गया। इसके लिए स्थानीय मित्रगण भी धन्यवाद के पात्र हैं।

3. वर्षा जल का सिंचाई के कुंओं में पुर्नभरण

जैसा कि उपर कहा गया है इस समीक्षा वर्ष में सिंचाई के इस कार्यक्रम के लिए योजना का अभाव रहा। समीक्षा वर्ष में ''**श्री बालाजी सेवक पारिजात फाउंडेशन**'' के माध्यम के लिए 5 कुंओं में वर्षा जल के पुर्नभरण कार्य के लिए आर्थिक साधन उपलब्ध कराये गये। इसके लिए श्री पारिजात अग्रवाल को धन्यवाद।

कतिपय कारणों से यह कार्य वर्षा के बाद किया जा सका है। इस कारण उसके परिणाम की विस्तृत जानकारी नहीं दी जा रही है। नीचे की सारणी में संस्थान द्वारा अब तक कितने कुंओं में यह सुविधा दी गयी उसकी संख्या तथा इस वर्ष जिन 5 कुंओं पर कार्य पूरा किया गया उसकी जानकारी दी जा रही है–

क्र.सं.	लाभांवितों के नाम	गांव का नाम	लाभांवितों की सदस्य संख्या	परिवार के पास जमीन (बीघा में)	कुंआ की गहराई फुट में
1.	श्री जयराम मीणा	हीरापुरा	100	20	100
2.	श्री गंगा सहाय मीणा	हीरपुरा	100	15	95
3.	श्री कन्हैयालाल बैरवा	चिमनपुरा	20	8	100
4.	श्री राम प्रसाद मीणा	कुशलपुरा	6	3	150
5.	श्री हनुमान सहाय मीणा	कुशलपुरा	13	10	105
6.	**योग**		**239**	**56**	

इस प्रकार संस्थान द्वारा अब तक 131 कुंओं पर वर्षा जल पुर्नभरण इकाई का कार्य पूरा किया गया है। स्पष्ट है 126 कुंओं से होनेवाले लाभ – पानी की मात्रा, उत्पादन आदि की जानकारी पिछले वर्षों की रिपोर्ट में दी जा चुकी है।

हम स्वीकार करते हैं कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसान को खेती में प्राकृति रूप से उपलब्ध पानी (वर्षा जल) का लाभ नहीं मिल सका।

4. जैविक खेती के प्रयास (रसायनमुक्त उत्पादन की दिशा में प्रयास)

उत्पादन में मृदा खराब तथा अनुत्पादन की ओर बढ़ें तो उत्पादित चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इस बात को विज्ञान तथा व्यक्ति दोनों स्तर पर स्वीकार किया जा चुका है। हानिकारक तत्व केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है बल्कि सभी प्रकार के प्राणियों के लिए है–मनुष्य के साथ–साथ, सभी प्रकार के पशु, अनगिनत प्रकार के पक्षी, खेती में मददगार होने वाले जीव–जन्तु (केचुए, मेढ़क, कीट–पतंग आदि) के लिए भी हानिकारक है। हम खुली आंखों से देख सकते हैं कि कई प्रकार की चिड़िया अब दिखाई नहीं देती। गिद्ध जैसे जीव लुप्त प्रायः हो गये हैं। कुछ वर्ष पहले तक विनोबा ज्ञान मंदिर में मोर आकर अपना पेट भरते थे–लगाये गये बीज, फल चिड़ियों का भोजन है। अब मोर नहीं है–कुछ प्रकार की चिड़ियों को नहीं देख सकते हैं, कबूतर भी गिने–चुने हैं। उपरोक्त बातें हम सब जानते हैं–केवल संदर्भ मानकर इनका जिक्र किया है।

विकल्प की तलाश में सरकार, रूचि रखनेवाले जागरूक किसान इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान अपनी सीमा को देखते हुए प्रयोग कर रहा है। यहाँ ''अपनी सीमा'' शब्द का प्रयोग जानबूझ कर किया गया है।

सरकार रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं के सीमित प्रयोग के सिद्धान्त को मानकर कार्य करती है। यह सोच जैविक खेती को बाधित करती है, रोकती है। सीमित रासायनिक प्रयोग इस लोभ से स्वीकार किया जाता है कि उत्पादन कम नहीं हो। उत्पादन पर्याप्त हो, निर्यात के लायक हो–यह **''लाभ''** की सोच है। इससे मुक्ति एवं जीवन रक्षा, स्वास्थ आदि के मुद्दे गौण हो जाते हैं।

संस्थान जैविक उत्पाद शब्द के स्थान पर रसायनमुक्त उत्पाद की दिशा में प्रयत्नशील है। इसका मुख्य कारण है पूरे क्षेत्र में रासायनिक तथा कीटनाशक प्रभाव नहीं पड़े यह संभव नहीं। गांव के खेत एक–दूसरे से जुड़े होते हैं और सिंचाई के पानी एवं अन्य गैर जैविक पदार्थ स्वतः ही जैविक खेत में प्रवेश करता है। इस प्रकार प्रयोग क्षेत्र के उत्पाद को पूर्ण जैविक मानने में शंका होना स्वाभाविक है। फिर भी कुछ किसानों का खेत अन्य किसानों की जमीन से नहीं जुड़ता है उनके उत्पादन को जैविक मानते हैं। उदाहरण स्वरूप श्री प्रभुदयाल बैरवा की जमीन अलग है और वे पूर्ण जैविक के लिए समर्पित है–जमीन कम है तो अनाज–सब्जी का उत्पादन भी कम होता है। उन्होंने कहा, **''हमारा उत्पादित अनाज–सब्जी तो अधिक भाव में, चाकसू में बिक जाता है, कई अधिकारी तो यहीं आकर ले जाते हैं।**'' यह तो उदाहरण है। प्रयोग में शामिल किसान का उत्पादन 40–50 किलोमीटर दूर से लाना कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप नमूने के तौर पर किये जा रहे इस प्रयास के उत्पाद को अभी तक जयपुर लाकर उपभोक्ता को देना संभव नहीं हो सका है।

प्रयास की मुख्य प्रक्रिया

1. इस कार्य में रूचि रखनेवाले किसान का चयन करना।
2. चयनित किसान का प्रारंभिक प्रशिक्षण देना और खेत का चयन करना।
3. कम्पोस्ट निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार कम्पोस्ट बनवाना।
4. वर्मी कम्पोस्ट की जानकारी देकर किसान द्वारा बेड बनाना–वर्मी कम्पोस्ट बनाना।
5. कीटनाशक जैविक सामग्री बनाने के प्रशिक्षण के साथ उसे नियमानुसार तैयार करना।

उपरोक्त कार्य सामूहिक प्रशिक्षण, प्रयोग का प्रदर्शन, उपयोग आदि का निरीक्षण समय साध्य कार्य है। ग्राम स्तर के कार्यकर्ता एवं उस कार्य को पहले से कर रहे व्यक्ति, जैसे प्रभुदयाल बैरवा का सहयोग लिया जाता है।

5. जैविक तकनीक प्रशिक्षण कार्य की दिशा 2024–2025

समीक्षा वर्ष में यह कार्यक्रम चाकसू एवं कोटखावदा पंचायत समिति के गांवों के इस कार्य में रूचि लेनेवाले 119 किसानों की पहचान कर उन्हें प्रारंभिक जानकारी देने तथा इस कार्य में रूचि पैदा करने के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया। जिन किसानों को इस कार्य से जोड़ने का प्रयास किया गया उनके बारे में प्रारंभिक जानकारी इस प्रकार है–

जैविक खेती की दिशा में किसानों की प्रारंभिक जानकारी

क्र. सं.	गांव का नाम	चयनित किसान सं.	किसानों के पास खेती की जमीन बीघा में (1 हेक्टर=3.95 बीघा)
1.	ठीकरिया गुजरान	10	100
2.	बैरवा की ढांणी–नरसिंहपुरा	20	90
3.	बालमुकुन्दपुरा–बासदा	25	200
4.	चिमनपुरा	8	90
5.	तालुकपुरा डूंगरी	6	150
6.	शीशवाली ढांणी–महेशपुरा	15	130
7.	इन्दिरा कॉलोनी	20	60
8.	माल की ढांणी – बाढ़बागपुरा	15	100
	योग	**119**	**920 बीघा खेती की जमीन**

उपरोक्त गांवों के 119 किसानों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। इनके पास कुल 920 बीघा कृषि भूमि है। ग्राम एवं चयनित किसानों की खेती की जमीन देखें तो सभी अत्यन्त छोटे कृषक है। इन लोगों ने विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों में भाग लिया और जैविक खेती या यों कहें अधिकतम गैर रासायनिक खेती करने का प्रयास प्रारम्भ किया। जिन तकनीक से जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया उसे इन नामों से संबोधित किया जाता है – (1) कम्पोस्ट खाद (2) वर्मी कम्पोस्ट (3) जीवामृत (4) घनामृत (5) नीमातृक। इनमें उत्पादन बढ़ाने तक कीटनाशक बचाव शामिल है। इसे परिवार स्तर पर खेत, घर के परिसर में तैयार किया जाता है। इस कार्य में नीम के पत्ते, धतूरा, पशुधन, पानी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। खाद तैयार होने में 2–3 माह तथा दवा तैयार करने में 15 से 30 दिन का समय लगता है।

इस कार्य को मूर्तरूप देने के लिए खास उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। खाद के बेड के लिए छाया हो तो अधिक लाभकारी है जबकि दवा बनाने के लिए मिट्टी के घड़े, टिन के डब्बे या बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है। लाभांवितों ने इसकी व्यवस्था व्यक्तिगत स्तर पर किया।

वर्ष 2024–2025 में जिन किसानों ने इस पद्धति को अपनाकर फसल–सब्जी का उत्पादन किया है उनकी जानकारी सारणी में दी जा रही है–

क्र. सं.	**किसान का नाम**	**वर्मी एवं अन्य खाद से उत्पादन (2024 में)**	**उत्पादित सामग्री का नाम**	**क्षेत्र जिसमें जैविक खाद का उपयोग किया गया (बीघा)**
1.	प्रभुदयाल बैरवा	2000 कि.	टमाटर, गेहूं, प्याज, रजका आदि	6
2.	रामप्यारी देवी	1000 कि.	बैगन, टमाटर, गेहूं, मेथी, सरसो	4
3.	परनता गूजर	500 कि.	रजका, मिर्च, गेहूं	3
4.	विनोद कुमार	1000 कि.	गारलि प्याज, बैगन, गेहूं	2
5.	सीताराम बैरवा	300 कि.	गेहूं, सरसो, जौ	3
	योग	**480 कि.**		**18 बीघा**

जिन लोगों ने उत्पादन बढ़ाने एवं कीटनाशक घोल बनाया है उनकी जानकारी इस प्रकार है–

क्र. सं.	**जैविक पेस्टीसाईड**	**किसानों की संख्या**	**पेस्टीसाइड की मात्रा (लीटर में)**	**उत्पादन के प्रकार**	**उपयोग में किया गया (बीघा)**
1.	जीवामृत (पशु मूत्र एवं गोबर से)	60	12000	टमाटर, बैगन, रजका, गेहूं	30
2.	घनामृत (नीम पत्ती, धतूरा पत्ती, पशु गोबर, पशु मूत्र, पानी)	20	100	टमाटर, गेहूं	10
3.	नीमामृत (पशु मूत्र, नीम पत्ती, तंबाकू पत्ती, धतूरा पत्ती	5	25	प्याज, मिर्च, टमाटर	5

नोट – उपरोक्त सारणियों से प्रथम वर्ष में किसानों की रूचि, उत्पादन की स्थिति आदि की जानकारी मिलती है। नीचे की सारणी में नाम नहीं दिये गये हैं क्योंकि प्रथम सारणी के किसानों ने ही इस खाद–कीटनाशक को तैयार किया और

विभिन्न फसल तथा सब्जी में उपयोग किया। उपरोक्त विवरण के अनुसार जैविक खाद को मुख्यतः दो भागों में समझ सकते हैं – (क) सामान्य एवं वर्मी कम्पोस्ट जिसे बेड में तैयार किया जाता (ख) घोल के रूप में खाद तथा कीटनाशक।

6. रसायनमुक्त सब्जी बाजार की व्यवस्था

पिछले कई वर्षों से विनोबा ज्ञान मंदिर में जैविक सब्जी तथा अन्य सामग्री की बिक्री का क्रम चल रहा है। सप्ताह में दो दिन रविवार एवं बुधवार को प्रातः 8 बजे से एक बजे तक सब्जी, फल आदि बिक्री के लिए उपलब्ध रहती है। उल्लेखनीय है कि सामग्री की उपलब्धी दो माध्यम से उपलब्ध होती है – एक सरकार द्वारा मान्यता एवं प्रमाण पत्र प्राप्त संस्था **जे आर फार्मस** विभिन्न स्थानों से सब्जी तथा फल बिक्री के लिए लाते हैं। दूसरा, सब्जी उगानेवाले किसान स्वयं आकर बिक्री करे इसकी छूट रहती है। दोनों माध्यम से सामग्री रखी जाती है। बिक्री की जिम्मेदारी विक्रेता की होती है। कुमारप्पा संस्थान बिक्री एवं स्टॉफ की जिम्मेदारी नहीं लेती है क्योंकि सब्जी–फल बिक्री के बाद विक्रेता बची समाग्री ले जाते हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम जैविक उत्पादकों की सेवा–सुविधा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

सब्जी–फल पर मौसम का प्रभाव महत्व का है। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि नाम मात्र के एवं न्यूनतम प्रकार की सब्जी उपलब्ध रहती है। नीचे की सारणी से स्पष्ट है कि जैविक सब्जी की बिक्री में किस प्रकार उतार–चढ़ाव आता है। समीक्षा वर्ष 2024–2025 में कुल सब्जी बिक्री रू. 6,03,603/– की हुई। यह एक

प्रकार से सहनशक्ति तथा कभी–कभी घाटे का कार्य है – संस्थान इसे प्रयोगात्मक कार्य मानता है।

जैविक सब्जी बिक्री की स्थिति – 2024–2025

क्र.सं.	माह	कुल बिक्री (रू.) में
1.	अप्रैल 2024	55,150/–
2.	मई 2024	1,02,141/–
3.	जून 2024	1,06,835/–
4.	जुलाई 2024	वर्षा के कारण उपलब्ध नहीं हो सका
5.	अगस्त 2024	28,145/–
6.	सितम्बर 2024	36,769/–
7.	अक्टूबर 2024	35,593/–
8.	नवम्बर 2024	39,753/–
9.	दिसम्बर 2024	66,483/–
10.	जनवरी 2025	40,208/–
11.	फरवरी 2025	43,455/–
12.	मार्च 2025	49,071/–
	योग बिक्री	**6,03,603/–**

सब्जी एवं अन्य जैविक उत्पाद की बिक्री में उतार–चढ़ाव के कई कारण देखने में आये, जैसे उत्पादन क्षेत्र से दूर होने के कारण थोड़ी मात्रा को जयपुर लाने की समस्या, मौसम के प्रभाव से उत्पादन तथा सब्जी के प्रकार की सीमा, एक स्थान पर ज्यादा किसानों का जैविक सब्जी का उत्पादन में रूचि का अभाव आदि।

7. अहिंसक समाज रचना : कार्यशाला

कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान संचालक मंडल के सदस्य एवं हम सबके वरिष्ठ श्री पी.वी. राजगोपाल की प्रेरणा से **अहिंसक समाज रचना** विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में पूरे देश से करीब 50 विद्वान तथा इस दिशा में कार्य करने वाले लोगों ने भाग लिया। व्यवस्था एवं अन्य कार्यों में संस्थान की सहभागिता रही। यह कार्यक्रम ''**Peacebuilders Forum India**'' द्वारा आयोजित था। संगोष्ठी में लिये गये निर्णय के अनुसार देश के अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार का आयोजन किया जायेगा–यह दूसरा आयोजन था। तीसरा आयोजन गौहाटी (असम) में करना प्रस्तावित है।

8. लोक सम्पर्क कार्यक्रम

समानधर्मी संस्था ''**रजमेरू**'' के साथ मिलकर चाकसू–कोटखावदा क्षेत्र में ''**जन विकास मंच**'' के माध्यम से गांवों की समस्या को समझ कर ग्रामीणों के सहयोग से समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रयास से जनभागीदारी की शक्ति मजबूत होगी यह अपेक्षा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न गांवों में किये गये कार्य इस प्रकार है –

- **ग्राम देहलाला** – ग्राम सभा बनाकर बंजारा बस्ती तथा बैरवा मोहल्ला में महिलाओं के प्रयास से ग्राम पंचायत ने सफाई कार्य किया, 10 लोगों का विवाह प्रमाण पत्र बनवाया गया, 15 परिवारों का राशन कार्ड बनाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य किया गया, 20 महिलाओं का नाम मनरेगा कार्य में जोड़ा गया।
- **बाल मुकुंदपुरा –** मंच के प्रयास एवं सहयोग से श्मशान घाट तालाब का कार्य मनरेगा कार्यक्रम से किया गया, गांव में सड़क सुधार के लिए प्रयास कर पूरा कराया गया, 2 परिवारों को खेत तलाई योजना से जोड़ा गया, 5 किसानों ने कृषि उपकरण लेने के लिए आवेदन किया, 4 परिवारों को पशुबाड़ा बनाने की स्वीकृति मिली, गांव के 10 परिवारों ने जीवामृत जैविक खाद का प्रशिक्षण लिया और उसका उपयोग 20 बीघा में किया–इस जमीन पर रासायनिक खाद नहीं डाला गया।

- **बैरवा की ढांणी** – मंच के प्रयास से यहां 3 परिवारों को पशुबाड़ा, 2 परिवारों को आवास योजना, 12 परिवारों ने जीवामृत खाद बनाने का प्रशिक्षण लेकर इसका उपयोग 25 बीघा में किया–इसमें रासायनिक खाद नहीं डाला गया।
- **ठीकरिया गुजरान** – यहां आपसी विवाद के कारण नीमड़ीवाली तलाई का मरम्मत कार्य बन्द था। मंच ने महिलाओं के संगठन एवं प्रयास से मनरेगा के अंतर्गत यह कार्य पूरा किया गया, यहां 5 नये जॉब कार्ड बने। सरकार द्वारा परिवार में शौचालय के लिए राशि स्वीकृत होने पर भी नहीं मिल रही थी उन्हें यह राशि दिलाने में सहयोग किया।
- **बिसनपुरा** – इस गांव में सड़क सुधार, 3 महिला को विधवा पेंशन, 2 को विवाह प्रमाण पत्र ग्राम विकास मंच के सहयोग से प्राप्त हुआ।
- **भोपा बस्ती, यादगारपुरा** – 10 परिवार को निवास के लिए पट्टा प्राप्ति का आवेदन किया गया जिनमें 5 को पट्टा मिल गया है, 10 लोगों का आधार कार्ड, 2 लोगों को वृद्धा पेंशन प्राप्त हुआ। स्मरण रहे भोपा समुदाय दशकों से यहां रह रहे हैं–उन्हें मकान का पट्टा दिलाना आवश्यक जरूरत था।

- **भांड बस्ती, गरूड़वासी** – यह गरूड़वासी जैसे बड़े गांव का गरीब टोला है। ये लोग परंपरा से भांड गायन का काम करते रहे–अब मजदूरी कर रहे हैं।

यहां विकास मंच बना कर ये कार्य किये गये–5 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बना, 3 को वृद्धा पेंशन स्वीकार किया गया, 5 परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े, 4 युवकों को समझाने पर स्वेच्छा से शराब पीना छोड़ दिया।

- **कंजर बस्ती, बाढ़ राजपुरा –** गांव में यह उपेक्षित टोला है। यहां 2 परिवार को आवास योजना स्वीकृत हुआ, 2 विकलांग महिला का विकलांगता प्रमाण पत्र बना, झोपड़ीनुमा स्थान पर पीढ़ियों से रह रहे हैं लेकिन इनके पास निवास का पट्टा नहीं है–इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं, इस टोले के 4 लोग भेड़–बकरी पालते हैं, शेष मजदूरी पर निर्भर हैं।
- **इन्दिरा कॉलोनी –** यहाँ 12 परिवारों ने जीवामृत जैविक खाद तैयार किया जिन्होंने 15 बीघे में गेहूं में इसका उपयोग किया, 3 को विवाह प्रमाण पत्र दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मंच के माध्यम से गांव के सबसे गरीब परिवार को सरकार से मिलनेवाले अनिवार्य साधन–सुविधायें देने का कार्य किया गया। आश्चर्य की बात है कि गांव में पीढ़ियों से रह रहे वंचित परिवारों के पास अपने निवास के पट्टे तक नहीं है। कई के पास आधार कार्ड नहीं है–मिलनेवाली योजनाओं से वंचित है। कहा जाना चाहिए कि रजमेरू एवं कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान के आपसी प्रयास से वंचित, गरीब, उपेक्षित लोगों को विकास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, यथा संभव साधन–सुविधा देने में सहयोग किया जा रहा है। यह वास्तव में लोक कल्याण का कार्य है।

तकनीकी सर्वे कार्य – संस्थान द्वारा भावी कार्यक्रम की दृष्टि से, मुख्यतः जल संरखण की दृष्टि से तकनीकी सर्वे का कार्य किया गया – (क) वर्षा जल का कुंओं में पुनर्भरण की दृष्टि से यह खेती के लिए लाभकारी है। इस दृष्टि से कोटखावदा–चाकसू के गांवों में जाकर पुर्नभरण की दृष्टि से कुंओं तथा वर्षा जल के बहाव का सर्वेक्षण किया गया। अबतक के सर्वेक्षण के अनुसार 50 कुंओं पर यह कार्य किया जा सकता है। (ख) नालों से वर्षा जल बह जाता है, उसमें से छोटे एनिकट बनाकर कृषि जमीन को नम किया जा सकता है, पास के कुंओं में जलस्तर बढ़ सकता है। इस दृष्टि से कुछ सर्वेक्षण तथा ग्रामीणों से चर्चा की गयी। लेकिन अभी तक उपरोक्त कार्यों के लिए आर्थिक साधन की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

उपरोक्त जानकारी के साथ कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान द्वारा वर्ष 2024–2025 में किये गये कार्य एवं प्रयास की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है।

Access to Government Schemes and Services
Monetary Benefits to the Community (April 2024 – March 2025)

S. No.	Name of Government Scheme	Benefits	No. of Beneficiaries who have availed benefits till 31st March 2025	Monetary Benefits (in Rs.)
1.	Janadahar Scheme (Bhamashah Scheme)	Janadahar Scheme an end-to-end service delivery platform to transfer cash and non-cash benefits to the targeted beneficiaries in a transparent manner. The Scheme is a family-based programme of financial inclusion, where each family is issued a 'Janadahar Card'.	129 (new card holder 19 family) 5,00,000/- per family Insurance	(The insurance benefit was not availed as there was no death or disability of any member in an accident)
2.	BOCWA (Building and Other Construction Workers') Card	BOCWA members have access to number of social security schemes from the government.	11	0
3.	Construction Worker's Education and Skill Development Scheme	Scholarship to the children of construction worker's studying in class 6 and above Rs. 4,000 to 35,000 per year per child	3	46000/-
4.	Saras Salil Scholarship Scheme	Scholarship to the children of construction worker's studying in class 6 and above Rs. 4,000 to 35,000 per year per child. Max. for 2 child.	10 (6000*3,12000*4 9000*3)	93000/-
5.	Sahyogini Scheme	Support to girl child of BOCWA card holder. Girl marriage Rs. 20,000/-, on passing class 10 Rs. 30,000/-, on graduating Rs. 40,000/-.	2	50000/-
6.	National Food Security Act, 2013	Food security to people living below poverty line. 5 kg of wheat per person per month.	26	234000/-

7.	Gift Scheme (Uphaar Yojana)	Support for the marriage of girl child of families living below poverty line. Girl marriage Rs. 20,000/-, on passing class 10, Rs. 40,000/- on passing class 12.	06	200000/-
8.	Palanhaar Scheme	Support to orphan children - children upto 5 years – Rs. 500/- pm; 8 years and on admission in school – Rs. 1,000/- pm; annual support Rs. 2000/- per year.	30	1200000/-
9.	Indira Gandhi National Widow Pension Scheme	Widow pension of Rs. 1000/- pm for 12 months	22	264000/-
10.	Chief Minister Old Age Pension	Old age pension to men after 58 years, women after 55 years. Pension Rs. 1000/- pm for less than 75 years, Rs. 1500/- pm for more than 75 years. Total for 12 months	(60+6) 66	828000/-
11.	Indira Gandhi National Old Age Pension	Old age pension of Rs. 1500/- pm. Total for 12 months	13	234000/-
12.	Small and Marginal Farmers Scheme (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) GoI	Annual support of Rs. 6,000/- to small and marginal farmers having less than 8 bigha of land.	13	78000/-
13.	Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana - Health Insurance Scheme	Those who are registered under National Food Security Act, 2013 are also eligible for health insurances upto Rs. 25,00,000/- per family & non registered families will have to deposit 50% amount 850/- as annual premium.	18 New card holder	0
14.	Jeevan Certificate		1 (35000/-)	420000/-
15.	Police Verification Certificate	0	14	0
16.	Electricity Bill Deposit	0	30	0
17.	Caste Certificate	0	14	0
18.	**Total**		**408**	**36,47,000**